फर्द अहकाम

हनुमान बनाम सरकार

नाम न्यायालय ACEM (LR-T) शाहपुरा

केस संख्या 418/13 [illegible] 186/16 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18-9-17	आज यह पत्रावली अभिभाषक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र में निवेदन किया कि निर्णय डिक्री में ख. न. 525/0.33 हे. के स्थान पर 526/0.33 लिखा गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रा. पत्र की ताईद होती है। अतः निर्णय डिक्री में दुरुस्त किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)
(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट)

कैम्प स्थान – राडावास शाहपुरा   **दिनांक – 16.06.2017**

पीठासीन अधिकारी-श्री रवि विजय (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं0-418/2013 पुनः दर्ज 186/2016

उनवानी मुकदमा

1. हनुमान सिंह पुत्र उमराव सिंह व्यस्क जाति राजपूत निवारी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– वादी

बनाम

1. सायर कंवर पुत्री उगम सिंह पत्नी बेरीशालसिंह जाति राजपूत निवासी राडावास तहसील शाहपुरा हाल आबाद मु0पो0 बालखा चैनसिंहनगर वकील साहब का फार्म वाया तीबरी जिला जोधपुर, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक – 16.06.2017

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प राडावास मे पेश हुई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत की भावना से अध्ययन किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है :- वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 923/2628 रकबा 0.22 हैक्0, खसरा नम्बर 924/2627 रकबा 0.16,खसरा नम्बर (926) 925 C.A. रकबा 0.33 हैक्0,खसरा नम्बर 940 रकबा 1.1300 कुल किता 4 रकबा 1.84 हैक्0 भूमि वाकै ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का अपने पूर्वजो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद पत्र के संलग्न सजरा खानदान में बलदेव सिंह के तीन पुत्र हुए जिसमें भूरसिंह, खेतसिंह ना औलाद फौत हो गये तथा किशनसिंह के मात्र एक पुत्र उगमसिंह है जिसका कानूनी वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। वादग्रस्त आराजी पर अन्य सहखातेदार है लेकिन वो अपने पूर्वजो की सहमति से काश्त करते आ रहे है तथा वादी का उनके किसी से कोई लेना देना नहीं है से उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है वादी उक्त आराजी पर पूर्व में वादी तथा वादी के पिता की मृत्यू के बाद वादी कब्जा काश्त करता आ रहा है। वादी ने उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवाने हेतु टालमटोल करने से यह दावा प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 01.10.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में वादी ने स्वयं का तथा साक्षी में प्रहलाद पुत्र हनुमान जाट निवासी राडावास, सुरेश कुमार पुत्र लाखूलाल धोबी निवासी राडावास, ने शपथ पत्र पेश किया वादग्रस्त आराजी पर वादी को 1/3 हिस्सा पर काश्त करते चला आ रहा है तथा वादी से पूर्व उसके पिता काश्त करते आ रहे है तथा वाद पत्र के संलग्न जो सजरा खानदान पेश किया गया है उसकी तस्दीक कर सही होना बताया है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया वादग्रस्त आराजी भूरसिंह, खेतसिंह, किशनसिंह पि0 बलदेव सिंह के नाम दर्ज है। सजरा खानदान व साक्ष्य द्वारा शपथ पत्र अनुसार भूरसिंह, खेतसिंह नाऔलाद फौत हो गये है। किशनसिंह के एक पुत्र उगमसिंह है जो फौत हो चुका है जिसकी एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। वाद पत्र के संबंध में प्रतिवादी उपस्थित नहीं होना तथा कोई जवाब पेश नहीं करने से भी यह प्रतीत होता है कि उक्त आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। वादी का वादग्रस्त आराजी पर अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसको एडवर्स पजेशन की श्रेणी में आता है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपने दादा परदादा के समय से ही कब्जे काश्त करता चला आ रहा है जिस पर प्रतिवादीया का कोई लेना देना नही होना बताया है जो सही साबित होता है। प्रतिवादी संख्या 1 का विवादग्रस्त आराजी में हक अधिकार के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेजात या जवाब नहीं पेश करने से भी यही साबित होता है कि वादी का उक्त आराजी पर पीढी दर पीढी कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः प्रकरण राजस्व लोक अदालत की भावना से वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 924/2627 रकबा 0.16 हैक0, खसरा नम्बर 940 रकबा 1.13 हैक0, खसरा नम्बर 923/2628 रकबा 0.22 हैक0, खसरा नम्बर 926 रकबा 0.33 हैक0 वाके ग्राम राडावास तहसील शाहपुरा के 1/3 हिसा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज भूरसिंह, खेतसिंह, किशनसिंह पि0 बलदेव सिंह का हिस्सा हजफ किया जाकर वादी हनुमान सिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राडावास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदानुसार दावा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प राडावास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

स्थान – राडावास शाहपुरा

दिनांक – 16.06.2017

ठासीन अधिकारी–श्री रवि विजय (आर.ए.एस)

व वाद सं0–418/2013 पुनः दर्ज 186/2016

उनवान

1. हनुमान सिंह पुत्र उमराव सिंह व्यस्क जाति राजपूत निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– वादी

बनाम

1. सायर कंवर पुत्री उगम सिंह पत्नी बेरीसालसिंह जाति राजपूत निवासी राडावास तहसील शाहपुरा हाल आबाद मु0पो0 बालखा चैनसिंहनगर वकील साहब का फार्म वाया तीबरी जिला जोधपुर, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक – 16.06.2017

दावा लोक अदालत की भावना से वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा म्बर 924/2627 रकबा 0.16 हैक्0, खसरा नम्बर 940 रकबा 1.13 हैक्0, खसरा नम्बर 923/2628 रकबा 0.22 हैक्0, खसरा नम्बर 925 (926) रकबा 0.33 हैक्0 वाके ग्राम राडावास हसील शाहपुरा के 1/3 हिसा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज भूरसिंह, खेतसिंह, किशनसिंह पि0 लदेव सिंह का हिस्सा हजफ किया जाकर वादी हनुमान सिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत नेवासी राडावास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

C.A

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2021.01.12 17:02:34 IST
Reason: SelfAttested

एवं पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner